फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 9 / 2022 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

हीरालाल मेघवाल बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
8/8/24	अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी हिरालाल मेघवाल पिता सवाराम मेघवाल निवासी सन्दुको का गुडा तहसील कुम्भलगढ की ग्राम जेतारण मे स्थित उनकी खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1560 / 108 रकबा 0.0810 हैक्टेयर किस्म बारानी—3 व 1567 / 108 रकबा 0.0216 हैक्टेयर भूमि मे आने—जाने हेतु ग्राम. जेतारण की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 1663 / 1550 से रास्ता दिलाया जावे । नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि मे आने—जाने हेतु ग्राम जेतारण की बिलानाम भूमि आराजी नंबर 1663 / 1550 रकबा 6.8310 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म मगरी भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है । रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंषा की है । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावति रास्ता बिलानाम भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर 123745 / —रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 2005 / —की दुगुनी कीमत 4010 / —रूपये संबंधित मद मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।रास्ते की अधिकतम चौडाई 30 फीट व लम्बाई 58 फीट है। जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा । तदनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला—राजसमन्द (राज.) उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला—राजसमन्द (राज.)	